प्रेस नोट 06/11/2022

दिनांक 02.11.2022 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्र्तगत मारने के मामले में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध प्रतिबंधित तमंचा व कारतूस बरामद—

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब जरिये मुखबिर की सूचना पर दिनांक 05.11.2022 सायंकाल देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर कचहरी तिराहे के पास से मु0अ0सं0 449/22 धारा 307,504 भादवि व 499/22 धारा 307 भादवि में फरार वांछित अभियुक्त हर्षवर्धन उर्फ डिल्लू पुत्र शिवप्रसाद निवासी हिंडोला थाना मुहम्मदाबाद मऊ के कब्जे से अवैध प्रतिबंधित तमंचा व एक कारतूस 303 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 3/7/25 आयुद्ध अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

एक शातिर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के इलेक्ट्रानिक सामान बरामद—

थाना कोपागंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 06.11.2022 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर भदसामानवपुर के पास से मु0अ0सं0 458/22 धारा 380 भादवि में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र विजय राम निवासी टंडियांव थाना कोपागंज मऊ के कब्जे से चोरी के इलेक्ट्रानिक सामान क्रमशः 02 अदद प्रेस, 03 सीलिंग फैन व 06 अदद एलईडी बल्ब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियोग में धारा 411 की बढोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में कुल 32 व्यक्ति व 02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार—

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 06.11.2022 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा विनोद कश्यप निवासी देवखरी थाना चिरैयाकोट, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा बालक चौधरी निवासी मुक्तिधाम, अमरनाथ निवासी पतनई, राजेन्द्र व राकेश निवासीगण मादीसिपाह थाना दोहरीघाट, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा मुन्ना राजभर व विश्राम निवासीगण सेंन्दुराइच थाना कोपागंज, मनीष निवासी करहा थाना मुहम्मदाबाद, थाना मधुबन पुलिस द्वारा धनंजय कुमार, ओमप्रकाश निवासीगण उफरौली, चन्द्रकेश, राकेश, सिकेत, विजय, सोनू व कन्हैया निवासीगण कोरया थाना मधुबन, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा पंकज, श्रीकांत निवासीगण फतेहपुर थाना रानीपुर, जितेन्द्र, श्यामसुन्दर निवासीगण जीयनपुर आजमगढ़, महेश, अमित, गुड्डू निवासीगण सलेमपुर, मो0 शमसाद, असरफल बानो, आयसा बानो निवासीगण शेखपुर अहमदपुर थाना मुहम्मदाबाद, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा लालचंद व मोती यादव निवासीगण रकौली, गोलू व त्रिभुवन निवासीगण चारेपा कला, थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त श्रवण पुत्र लालचंद निवासीगण औरंगाबाद, संजय पुत्र एकनाथ निवासी अस्तूपुरा थाना दक्षिणटोला मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

03 दंपति साथ—साथ रहने को हुये राजी, 20 मामलों का हुआ निस्तारण—

पुलिस अधीक्षक/अपर अधीक्षक के मार्गदर्शन में चलने वाले परिवार परामर्श की बैठका आज दिनांक 06.11.2022 को पुलिस लाईन में सम्पन्न हुयी, जिसमें कुल 44 मामले आए। परिवार परामर्श सदस्यों के प्रयास से तीन दम्पत्ति सहर्ष सुलह कर साथ रहने को राजी हुए जिनके नाम क्रमशः डिम्पल चौहान/त्रिभुवन, गुलशन जहां/शाहिद कमाल, ज़ेबरा परवीन/इरफान हैं। दिलशाद /मोहम्मद फरहान राधा/हरिराम, ममता/विजय, सुरेमन चौहान/राजेश, पूजा सोनकर/रवि कुल 05 मामलों में एफ आई आर के लिए पत्रावली अग्रसारित की गयी। महेन्द्र यादव बनाम मंजू यादव का बटवारा/हिस्सेदारी से सम्बन्धित होने के कारण फाईल बन्द कर दी गयी है.

12 मामले पक्षकारों उदासीनता अथवा कोर्ट में केस चलने एवम कुछ स्वयं प्रार्थिनी की गैरहाजिरी से बन्द कर दिए गए.

बैठक में श्री सर्वेश दूबे,अर्चना उपाध्याय,मौलवी अरशद ने मामलों का निस्तारण किया.साथ में पुष्पा गुप्ता, प्रीति दूबे, सोनी सिंह महिला आरक्षी सहयोगार्थ मौजूद रहीं। अन्य 24 फाईलों में अगली तारीख 20–11–2022 दी गयी.